



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092021-229962
CG-DL-E-27092021-229962

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3635]
No. 3635]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 2021/आश्विन 5, 1943
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 27, 2021/ASVINA 5, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2021

का.आ. 3969(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3226(अ) तारीख 11.08.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के चन्दौली जिले में NH2 के कि.मी. 806 से कि.मी. 809.5 (चंदौली) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "31.08.2021" को "हिंदुस्तान" और "टाइम्स ऑफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के चन्दौली जिले में NH2 के कि.मी. 806 से कि.मी. 809.5 (चंदौली) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश		जिले का नाम: चन्दौली			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय)				
	गांव का नाम:				
1	1345	निजी	कृषि	0.03	(i) सिद्धार्थ नाथ पिता मथुरा, कामता पिता मुल्लू, मरजादी देवी पति स्वर्गीय मोहन, गुलाब यादव, आलोक कुमार यादव, मनीष यादव पिता स्वर्गीय मोहन, श्रीमती सुनीता देवी पति दलसिंगार, (ii) धनू प्रसाद, देवराज, रामपति, विजय कुमार पिता सुखदास (iii) श्रीमती प्रेमसिला पति अशकरन (iv) रामेश्वर प्रसाद पिता सुखारी प्रसाद ()
2	1346	निजी	परती कदीम	0.0056	राजकुमार, राजकुमार पिता अलियार ()
3	1347	निजी	कृषि	0.0168	अनुरूप पिता माधव, ()
4	1348	निजी	कृषि	0.0352	दीनानाथ, राजा, रामराज पिता साल्प, ()
5	1349	निजी	कृषि	0.0121	विमला देवी पति नंदलाल गुप्ता, राजीव गुप्ता, रवींद्र गुप्ता, विकास कुमार गुप्ता पिता नंदलाल गुप्ता, ()
6	1351	निजी	कृषि	0.0405	शिवशंकर, वृजेश कुमार, इंद्रोश कुमार

					यादव पिता राजेंद्र, पार्वती देवी पति राजेंद्र, ()
7	1352	निजी	परती कदीम	0.0384	महातिम यादव, हकीम यादव, जगदीश यादव, बाबूलाल यादव पिता सियाराम, ()
			कुल	0.1786	

[फा. सं. 11012/Ph.V/NH-2/Varanasi-Aurangabad/LA/2009/3D1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2021

S.O. 3969(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 3226 dated 11.08.2021**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH2 on the stretch of land from Km. 806 to Km. 809.5 (Chandauli) in the district of CHANDAULI in the state of UTTAR PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Hindustan**” and “**Times of India**” both **dated 31.08.2021**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH2 in the stretch of land from Km. 806 to Km. 809.5 (Chandauli) in the district of CHANDAULI in the State of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH			District: CHANDAULI		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Pandit Dindayal Upadhyay Nagar (Mugalsarai)				
	Village: Alinagar				
1	1345	Private	Agriculture	0.03	(i) Sidharth Nath S/o Mathura, Kamta S/o Mullu, Marjadi Devi W/o Late Mohan, Gulab Yadav , Alok Kumar Yadav , Manish Yadav S/o Late Mohan, Mrs Sunita Devi W/o Dalsingar,(ii) Dhannu Prasad, Devraj, Rampati, Vijay Kumar S/o Sukhdas(iii) Mrs Premsila W/o Ashkaran, (iv) Rameshwer Prasad S/o Sukhari Prasad
2	1346	Private	Prati Kadim	0.0056	Rajkumar, Rajkumar S/o Aliyar,
3	1347	Private	Agricuture	0.0168	Anrup S/o Madav,
4	1348	Private	Agriculture	0.0352	Dinanath, Raja, Ramraj S/o Salp,
5	1349	Private	Agriculture	0.0121	Vimala Devi W/o Nandlal Gupta , Rajeev Gupta , Ravindra Gupta , Vikas Kumar Gupta S/o Nandlal Gupta,
6	1351	Private	Agriculture	0.0405	Shivshankar, Brijesh Kumar, Indrosh Kumar Yadav S/o Rajendra, Parwati Devi W/o Rajendra,
7	1352	Private	Parti Kadim	0.0384	Mahatim Yadav , Hakim Yadav, Jagdish Yadav, Babulal Yadav S/o Siyaram,
			TOTAL	0.1786	

[F. No. 11012/Ph.V/NH-2/Varanasi-Aurangabad/LA/2009/3D1]

RAJESH GUPTA, Director